तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी ए/2477/2002/झालावाड निगरानी/टी ए/2479/2002/झालावाड कन्हैया लाल व अन्य **बनाम मु. घीसी बाई व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह दोनों निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आदेश दिनांक 13–3–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी पर्चा में से तनकी संख्या 2 को डिलीट करने के आदेश दिये हैं। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर सन् 1962 से देवा का गोद पुत्र है व प्रार्थी कन्हैया लाल का नाम गोद पुत्र होने के नाते राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज हो चुका है। अब वादनी प्रार्थी को गोद पुत्र नहीं मानती है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादीगण के बीच मुख्य विवाद गोद पुत्र का ही है व इसी आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से तनकी संख्या 2 कायम की गई थी। अतः वादिया की शहादत समाप्त होने के पश्चात प्रतिवादी की प्लीडिंग के आधार पर बनाई गई तनकी संख्या 2 को डिलीट करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। इस तनकी को समाप्त करने से प्रार्थी प्रतिवादी का समस्त डिफेन्स ही खत्म हो जाता है। इस प्रकरण में कन्हैया लाल गोदपुत्र प्रतिवादी है व उसने गोदनामे बाबत घोषणा नहीं चाही है बल्कि वादिया ने प्रतिवादी के गोदनामे को इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 को सुनने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को है। जब एक बार दोनों पक्षों की सहमति से दोनों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2477/2002/झालावाड निगरानी/टी ए/2479/2002/झालावाड कन्हैया लाल व अन्य **बनाम मु. घीसी बाई व अन्य**	

पक्षों की प्लीडिंग के आधार पर तनकीयात कायम कर दी गई है व उन तनकीयात के आधार पर वादी की साक्ष्य भी समाप्त हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में वादिया को तनकी समाप्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में 2006(2)डी एन जे राज.पेज 964की नजीर पेश की।

5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि तनकी संख्या 2 का भार सबूत प्रतिवादी कन्हैया लाल पर है। यह तनकी गोद के बाबत है। राजस्व न्यायालय को गोद बाबत सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है जिसे सुनवाई का अधिकार दीवानी न्यायालय को है इसलिये तनकी संख्या 2 को डिलीट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी की ओर से वाद अधिनियम की धारा 88,89,188,183 व 53 के अन्तर्गत पेश किया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 5 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1लगायत 8 उपरोक्त जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं व अपने खाते दर्ज कराना चाहते हैं। इन आठों प्रतिवादीगण को मृतक देवा की जमीन पर न तो कोई वारिस होने का अधिकार है और न कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार है। कन्हैया लाल ने अपने जबाब दावे में यह अंकित किया है कि खातेदार देव लाल ने अपने जीवनकाल में कन्हैया लाल पुत्र बाला जाति धाकड को हस्व रिवाज बिरादरी गोद रख लिया था। गोद की रस्में हुई थी। कन्हैयालाल को उसके प्राकृतिक पिता से देवलाल से गोद रखने की इच्छा जाहिर की थी और देव लाल व उसकी पत्नी ने कन्हैया लाल को हस्व रिवाज बिरदारी सन 1959 में गोद ले लिया था। उस समय इस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2477/2002/झालावाड निगरानी/टी ए/2479/2002/झालावाड कन्हैया लाल व अन्य **बनाम मु. घीसी बाई व अन्य**	

सम्बन्ध में रसोई भी दी थी तथा पंचों के सामने कन्हैयालाल को अपनी गोद में बिठाया था। तब से कन्हैया लाल देव लाल का गोदनशीन पुत्र बनकर रह रहा है। उसके दो वर्ष बाद दिनांक 30–12–61को देव लाल ने एक गोद पत्र भी निष्पादित कराकर उप पंजीयक कार्यालय खानपुर से पंजीयन करवा दिया था। उक्त गोदपत्र पर सहमति स्वरूप देवलाल ने अपने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करा दी थी। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल चार तनकीयात कायम की हैं जिनमें से तनकी संख्या 2 इस प्रकार है कि–''आया प्रतिवादी कन्हैया लाल मृतक खातेदार देवा का हिन्दू कानून व रीति रिवाज के अनुसार मृतक देवा का वारिस है एवं मुतनाजा जमीन में हिस्सा पाने का अधिकारी है।'' प्रार्थी कन्हैया लाल गोद पुत्र प्रतिवादी है व उसने गोदनामे बाबत घोषणा नहीं चाही है बल्कि वादिया ने प्रतिवादी के गोदनामे को इन्कार किया है। इसलिये तनकी संख्या 2 को सुनने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को है। इस सम्बन्ध में 2006(2)डी एन जे राज.पेज 964 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Rajasthan Tenancy Act,1955-Sec.s.188 and 53- Suit for partition and permanent injunction-Adjudication of question of adoption-Respondent No.4 was whether adopted by "G"- Whether the Revenue Court had jurisdiction of decide the issue- respondent No.4asked for share on the question of adoption-Question of adoption is incidental issue and not main issue- Held , REvenued Court had jurisdiction to adjudicate the issue of adoption and interference in concurrent findings is not justified.

8– धारा 207 में यह प्रावधित किया गया है कि–केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रार्थना पत्र–(1)तृतीय अनुसूचि में निर्दिष्ट प्रकार के सभी वाद तथा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(2)राजस्व न्यायलय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2477/2002/झालावाड निगरानी/टी ए/2479/2002/झालावाड कन्हैया लाल व अन्य **बनाम मु. घीसी बाई व अन्य**	

प्रार्थना पत्र की अथवा किसी वाद के उक्त कारण जिसके सम्बन्ध में उक्त किसी वाद या आवेदन पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो,पर आधारित किसी वाद या आवेदन पत्र की सुनवाई नहीं करेगा।यह केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि कौन सा दावा दीवानी न्यायालय के सुननें का है और कौन सा दावा राजस्व अदालत के सुनने का है। यदि किसी केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि उसका अनुतोष राजस्व अदालत ही दे सकती है तो वह दावा राजस्व अदालत में ही सुना जावेगा और ऐसे ही तथ्य प्रस्तुत केस में भी हैं क्योंकि प्रस्तुत केस में वादिनी ने वाद अधिनियम की धारा 88,89,188,183 व 53 के अन्तर्गत पेश किया गया है। वादिया ने प्रतिवादी के गोदनामे को इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दु है जिसको सुनने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को है।इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13–3–2002 निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा वर्ष 1996 से लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का विधि अनुसार अधिकतम तीन माह के अन्दर निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–7–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)

सदस्य